

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/—/18, दिनांक 23 मई-2018,

-:: आदेश ::-

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-881/18 दिनांक 22.05.18 द्वारा दिनांक 23.05.18 के लिए पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश व श्री आलोक कुमार त्रिवेदी, एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-बरेली की खंड पीठ गठित की गयी थी। अपरिहार्य कारणों से उक्त गठित खंड पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश के स्थान पर श्री डिप्टी कुमार, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 लखनऊ को नामित किया जाता है।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह0-23.5.18

(राजेन्द्र कुमार-IV)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/890/2018, तद्दिनांकित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 लखनऊ
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-बरेली।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,


प्र0निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।